# कार्यालय : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर

क्रमांक : 63 दिनांक : 30.09.2023

## –: कार्यालय आदेश :–

मैं, **मांडवी राजवी**, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01/06/2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को **माह अक्टूबर, 2023 में** आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दंप्रसं के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(कार्यालय समय प्रातः 10 से सायं 5 बजे के मध्य 11 ए.एम. से 1.30 पी.एम तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52–क के तहत इन्वेन्ट्री हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूं।

### माह अक्टूबर, 2023 हेतु –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.10.2023<br>02.10.2023 | श्रीमती स्वाति चौधरी | विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 08, जोधपुर महानगर | 8386800148 |
| 2. | 08.10.2023 | सुश्री सुमन चौधरी | विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट) संख्या 05, जोधपुर महानगर | 9461449999 |
| 3. | 14.10.2023<br>15.10.2023 | श्री अजय सिंगारिया | महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर | 9724009046 |
| 4. | 22.10.2023<br>23.10.2023<br>24.10.2023 | श्री सुनील गोस्वामी | महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 02, जोधपुर महानगर | 8118817203 |
| 5. | 28.10.2023<br>29.10.2023 | श्री प्रमोद | महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 05, जोधपुर महानगर | 9549990077 |

नोट : उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.10.2023<br>02.10.2023 | श्री प्रकाश चन्द्र मीणा | अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 5, जोधपुर महानगर | 9694750325 |
| 2. | 08.10.2023 | श्रीमती प्रतिभा मोट्यार | ACMM Rent<br>जोधपुर महानगर | 9680032564 |
| 3. | 14.10.2023<br>15.10.2023 | श्रीमती ज्योत्सना मीणा | अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी), जोधपुर महानगर | |
| 4. | 22.10.2023<br>23.10.2023<br>24.10.2023 | डॉ. पवन कुमार बिश्नोई | अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई), जोधपुर महानगर | |
| 5. | 28.10.2023<br>29.10.2023 | श्रीमती रेखा रानी | अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 6, जोधपुर महानगर | 9521111457 |

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट :

(ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात